



2026:AHC:22469

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 18/2026

सुरजीत

सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर

प्रदेश

राज्य

एवं

अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: सैयद

वाजिद अली

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: मुख्य

स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद वाजिद अली और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.एन. पाठक को सुना गया।
- वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को यह निर्देश देने के लिए दायर की गई है कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 211 के अंतर्गत पुनरीक्षण संख्या 3942/2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या R20251316001190) (सुरजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में लंबित पुनर्विचार आवेदन संख्या 1190/2025 को निर्धारित अवधि के भीतर निर्णीत करें।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर पुनर्विचार आवेदन प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समक्ष 28.03.2025 से लंबित है। उन्होंने लंबित कार्यवाही की आदेश-पत्रिका भी प्रस्तुत की, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि मामले में त्वरित कार्यवाही नहीं हो रही है।
- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, केस के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह याचिका प्रतिवादी संख्या 2 को इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि वह संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए, कानून के अनुसार उक्त कार्यवाही को यथासंभव शीघ्रता से, अधिमानतः 3 महीने की अवधि के भीतर उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाएँ।

02 फरवरी, 2026

सी. प्रकाश

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"